द्वारिका प्रसाद विरूद्ध भोपाल सिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग. [illegible] –दो / 14 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 20–5–14 के विरूद्ध पेश किया गया है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने यह पाया है कि उनके पक्ष में पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अन्य प्रकरण लंबित हैं जिसमे पक्षकार एवं वाद विषय वस्तु समान है । अतः उन्हें पृथक–2 सुने जाने का कोई औचित्य नही है । उक्त आधार पर उन्होने सभी प्रकरणों का निराकरण एक साथ किए जाने के आदेश दिए हैं एवं प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश मे कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

क्र. ..../निगरानी/ ...... 319 ॥॥

आत्माप्रसाद पुत्र कुन्दीलाल आयु .... वर्ष जाति गेहलोत

निवासी ग्राम अलीपुर आष्टा, कृषक ग्राम लसुड़ियासूखा

तहसील आष्टा, जिला सीहोर .... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1/भोपालसिंह आयु 60 साल पुत्र रामचरण

निवासी ग्राम लसुड़ियासूखा तहसील आष्टा

2/बहादुरसिंह आयु 55 साल पुत्र रामचरण

निवासी मेवाड़ा कालोनी आष्टा

3/कृपालसिंह आयु 50 साल पुत्र रामचरण

निवासी ग्राम लसुड़ियासूखा तहसील आष्टा

4/... पुत्र जसवंतसिंह आयु .. साल

निवासी ग्राम लसुड़ियासूखा तहसील आष्टा

5/... आयु 40 साल पुत्र जसवंतसिंह

निवासी ग्राम लोरासकलां तहसील आष्टा

6/रूपेश पुत्र जसवंतसिंह आयु 34 साल निवासी

ग्राम लसुड़ियासूखा तहसील आष्टा

7/रमेश पुत्र जसवंतसिंह आयु .2 साल निवासी

ग्राम लसुड़ियासूखा तहसील आष्टा

8/केशरबाई विधवा जसवंतसिंह आयु 70 साल

निवासी ग्राम लसुड़ियासूखा तहसील आष्टा

9/राजमल पुत्र उमराव आयु 5. साल निवासी

ग्राम बाबाखेड़ी तहसील आष्टा

10/लख... पुत्र उमराव आयु 42 साल निवासी

ग्राम बाबाखेड़ी तहसील आष्टा

11/आत्माराम पुत्र राजमल आयु 34 साल

12/सुरेन्द्र पुत्र राजमल आयु .. साल

... ... राजमल आयु 27 साल

[illegible] राजमल साहु [illegible]

[illegible] ग्राम बावाखेड़ी

तहसील [illegible], जिला [illegible] ———————— रेस्पान्डेन्ट